

रिपोर्ट पटवारी व भूअ.नि.

महोदय जी, विवेक है कि पेश आवेदन - पत्र की जांच की गई। जांच अनुसार ग्राम सांगरी की जमाबन्दी सन्वत् 2077 वर्ष 2021 के खासगी खालाफ 121 में शामिल की जाती है। खाते का नाम अंबर कुज गौरा उर्फ गोक हि. 1/4 जाति बजाय सांगरे अर्ज की पत्र पाली के उस्तावेजों में पत्नी नाम में बड़ा बजार पिला गोक बजारों के अंतः उस्तावेजों के आधार पर बड़ा कुज गोक एवं अंबर कुज गोक एक ही व्यक्ति के अंतर्गत है। का बंधन-पत्र के आधार पर अंबर कुज गोक के नाम बड़ा कुज गौरा उर्फ गोक किया जाता है।

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार उचित की 2024/315
 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का मंडोह व जांच भूअ.नि. वृत्त मंडोह
 के आधार पर शुद्धि किया जाना उचित है।


18.11.21
 तहसीलदार
 रायपुर जिला-भीलवाड़ा

राजस्व गाँवों के रांग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक-प्र.गा.के.स./केम्प/2021/मंडोह/124/4 दिनांक 18/11/2021
 (2021/315)
 -आदेश:-

मुताबिक तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट एवं आवेदन द्वारा उस्तावेजों के आधार पर राजस्व ग्राम सांगरी जमाबन्दी सन्वत् 2077 वर्ष 2021 संख्या 121 स्वयं/शामिलता ह खातेदार/सहखातेदार अंबर कुज गौरा उर्फ गोक बजार का सांगरी नाम अंकित है जिसके बजाय बड़ा कुज गौरा उर्फ गोक बजार हि. सांगरी शुद्धि किया जाता है तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाकर वास्ते तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ प्रेषित है।



22/11/2021

उपखण्ड अधिकारी
 रायपुर
